<u>न्यायालय जिला न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : **संदीप कुमार शर्मा,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सि.वि. (उत्तराधिकार) प्र.सं. : **16/2025**

ब्रिज सुन्दर व्यास पुत्र स्व.रामसिंह व्यास, उम्र 76 वर्ष,
निवासी शिवशक्ति कॉलोनी, लक्ष्मी धर्मकांटा के पास,
एन.एच. 12 कोटा बाईपास रोड, बून्दी (राज.)

--प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. निशान्त व्यास पुत्र ब्रिजसुन्दर व्यास, उम्र 48 वर्ष
   निवासी डी-602, धीरज गंगा, चिंचोली बंदर रोड़ मडाल वेस्ट,
   मुम्बई सबअेबन महाराष्ट्र
2. आशीष व्यास पुत्र ब्रिजसुन्दर व्यास, उम्र 44 वर्ष
   निवासी लक्ष्मी धर्मकांटा के पास, व्यास नर्सिंग होम, बून्दी
   जिला बून्दी (राजस्थान)
3. श्रीमती वर्षा पुरोहित पुत्री ब्रिजसुन्दर व्यास
   निवासी अरिहन्त आदित्य फ्लेट नम्बर एंजला 603
   गंगा रोड़, लेडी पिलर कॉन्वेन्ट स्कूल, डीपीएस सर्किल के पास
   बसनी सलवतन, जोधपुर (राज.)
4. बैंक ऑफ बडौदा, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई
   सी-26 जी ब्लॉक बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई
5. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा बून्दी तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
6. आम जनसाधारण

--अप्रार्थीगण

<u>भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के अधीन आवेदन</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1. श्री संजय राजवंशी, प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता,
2. श्रीमती रंजना जोशी, अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता
3. अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

Authenticated Document

<u>आ दे श</u> **<u>दिनांक : 27.05.2026</u>**

1. इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के अधीन प्रस्तुत आवेदन-पत्र का निर्णय किया जा रहा है।

2. इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उसकी धर्मपत्नी श्रीमती लाज व्यास की मृत्यु दिनांक 19.05.2021 को हो चुकी है। उसकी पत्नी डॉक्टर थी और अपने जीवनकाल में वह पी.एच.सी. देवली जिला टोंक में सेवारत रही थी तथा उनका एक बैंक खाता संख्या 06600100002285 दिनांक 18.04.2006 से बैंक ऑफ बडौदा की शाखा दूणी जिला टोंक (राजस्थान) में विद्यमान था। उसकी पत्नी की मृत्यु से पूर्व व उसके उपरान्त उसे उक्त खाते की जानकारी नहीं थी। जानकारी करने पर उक्त बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा उसे बताया गया कि उसकी पत्नी के उक्त खाते में जमा राशि वर्तमान में उनकी शाखा में मौजूद नहीं है क्योंकि उक्त खाते में काफी वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है, इसलिए उक्त शाखा से उसकी पत्नी के खाते में जमा राशि वर्तमान में बैंक ऑफ बडौदा के हैड ऑफिस बैंक ऑफ बडौदा बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, मुम्बई सी-26 जी ब्लॉक बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स को भिजवायी जा चुकी है। उसकी पत्नी के उक्त खाता संख्या 06600100002285 में 98,506/-रूपये जमा हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 मृतका स्व. श्रीमती लाज व्यास एवं उसके पुत्र-पुत्री हैं। अतः उक्त राशि की प्राप्ति हेतु प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी किया जावे।

3. प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाद जांच दिनांक 15.04.2025 को पंजीबद्ध किया जाकर इस प्रार्थना-पत्र का नोटिस इस क्षेत्र में प्रचलित दैनिक समाचार-पत्र 'राजस्थान पत्रिका' में प्रकाशित करवाया जाकर नियमानुसार मुश्तरी करवाई गई।

4. अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 के बावजूद तामील इस न्यायालय

Authenticated Document

के समक्ष उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13.01.2026 के माध्यम से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से दिनांक 10.11.2025 को अलग-अलग जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया गया।

6. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर इस प्रकरण में निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गये :-

(1) आया प्रार्थी ब्रिजसुन्दर व्यास मृतका श्रीमती लाज व्यास का पति होकर विधिक उत्तराधिकारी होने से मृतका श्रीमती लाज व्यास के नाम बैंक ऑफ बडौदा शाखा दूनी जिला टोंक (राजस्थान) के खाता संख्या 06600100002285 में जमा धनराशि 98,506/-रूपये, जो लेन-देन न होने के कारण वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के हैड ऑफिस बैंक ऑफ बडौदा, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स मुम्बई सी-26, जी-ब्लॉक बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स (अप्रार्थी संख्या-4) को भिजवाई जा चुकी है, को मय ब्याज प्राप्त करने हेतु अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाने का अधिकारी है ?

-प्रार्थी

(2) अनुतोष ?

7. प्रार्थी की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वयं प्रार्थी ब्रिजसुन्दर व्यास को बतौर ए.डब्ल्यू.01 परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में मृत्यु प्रमाण पत्र डॉ. लाज व्यास प्रदर्श-1, असल आधार कार्ड ब्रिजसुन्दर व्यास प्रदर्श-2, आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रदर्श-2ए, बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श-3 व 4, अखबार में प्रकाशित नोटिस का बिल प्रदर्श-5, अखबार की प्रति प्रदर्श-6, असल मतदान पत्र प्रदर्श-7, मतदान पहचान पत्र की प्रति प्रदर्श-7ए, मृतका डॉ. लाज व्यास का असल आधार कार्ड

Authenticated Document

प्रदर्श-8 व उसकी प्रति प्रदर्श-8ए को प्रदर्शित करवाया गया।

8. अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

9. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं अभिलेख व सम्बद्ध विधि का भी अवलोकन किया गया। विरचित किये गये विवाद्यकों का विनिश्चयन निम्न प्रकार है:-

<u>विवाद्यक संख्या-1</u>

10. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पर है, जिसमें उसे यह साबित करना है कि वह मृतका श्रीमती लाज व्यास का पति होकर विधिक उत्तराधिकारी होने से मृतका श्रीमती लाज व्यास के नाम बैंक ऑफ बडौदा शाखा दूनी जिला टोंक (राजस्थान) के खाता संख्या 06600100002285 में जमा धनराशि 98,506/-रूपये, जो लेन-देन न होने के कारण वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के हैड ऑफिस बैंक ऑफ बडौदा, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स मुम्बई सी-26, जी-ब्लॉक बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स (अप्रार्थी संख्या-4) को भिजवाई जा चुकी है, को मय ब्याज प्राप्त करने हेतु अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाने का अधिकारी है।

11. इस सम्बन्ध में प्रार्थी ए.डब्ल्यू.1 ब्रिजसुन्दर व्यास ने अपने आवेदन-पत्र में अंकित तथ्यों को समर्थित करते हुए अपने सशपथ अभिकथन में यह व्यक्त किया है कि उसकी धर्मपत्नी श्रीमती लाज व्यास की मृत्यु दिनांक 19.05.2021 को हो चुकी है। उसकी पत्नी के डॉक्टर होने से उनके जीवनकाल में वह पी.एच.सी. देवली जिला टोंक में सेवारत रही थी तथा उसका एक बैंक खाता संख्या 06600100002285 दिनांक 18.04.2006 से बैंक ऑफ बडौदा की शाखा दूणी जिला टोंक (राजस्थान) में विद्यमान था। उसकी पत्नी की मृत्यु से पूर्व व उसके उपरान्त उसे उक्त खाते की जानकारी नहीं थी। जानकारी करने पर उक्त बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा उसे बताया गया कि उसकी पत्नी के उक्त खाते में जमा राशि

वर्तमान में उनकी शाखा में मौजूद नहीं है क्योंकि उक्त खाते में काफी वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है, इसलिए उक्त शाखा से उसकी पत्नी के खाते में जमा राशि वर्तमान में बैंक ऑफ बडौदा के हैड ऑफिस बैंक ऑफ बडौदा बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, मुम्बई सी-26 जी ब्लॉक बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स को भिजवायी जा चुकी है। मृतका द्वारा उक्त खाते में किसी को नॉमिनी नियुक्त नहीं किया गया है। उसकी पत्नी के उक्त खाता संख्या 06600100002285 में 98,506/-रूपये जमा हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 मृतका स्व. श्रीमती लाज व्यास एवं उसके पुत्र-पुत्री हैं। वह उसकी पत्नी का विधिक उत्तराधिकारी होने से उक्त बैंक में जमा धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

12. इस प्रकार, प्रार्थी ब्रिजसुन्दर व्यास की उपरोक्त साक्ष्य के खण्डन में पत्रावली पर कोई साक्ष्य/सामग्री विद्यमान नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को प्रार्थी ब्रिजसुन्दर व्यास के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि अभिलेख पर विद्यमान प्रालेखीय साक्ष्य से भी होती है। प्रार्थी ब्रिजसुन्दर व्यास द्वारा अपनी साक्ष्य में मृतका डॉ. लाज व्यास का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श-1, प्रार्थी का असल आधार कार्ड प्रदर्श-2 तथा उसके आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रदर्श-2ए, बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श-3 व 4, अखबार में प्रकाशित नोटिस का बिल प्रदर्श-5, अखबार की प्रति प्रदर्श-6, असल मतदान पहचान पत्र प्रदर्श-7, मतदान पहचान पत्र की प्रति प्रदर्श-7ए, मृतका डॉ. लाज व्यास का असल आधार कार्ड प्रदर्श-8 व उसकी प्रति प्रदर्श-8ए को भी प्रमाणित किया गया है, जिनका कोई खण्डन नहीं हुआ है और न ही किसी पक्ष ने न्यायालय में उपस्थित होकर कोई आपत्ति ही प्रकट की है। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई उक्त सशपथ अखण्डनीय साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है, जिसके खण्डन में पत्रावली पर कोई साक्ष्य/

Authenticated Document

सामग्री विद्यमान नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर विवाद्यक संख्या-1 प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या-2 अनुतोष</u>

13. यह विवाद्यक अनुतोष के सम्बन्ध में विरचित किया गया है। चूंकि विवाद्यक संख्या-1 प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत किया गया है, ऐसी स्थिति में विवाद्यक संख्या-1 में अभिलिखित किये गये निष्कर्ष के अनुसार प्रार्थी ब्रिजसुन्दर व्यास, मृतका श्रीमती डॉ. लाज व्यास का पति होने एवं अप्रार्थीगण संख्या-1 लगायत-3, जो कि मृतका स्व. डॉ. लाज व्यास एवं प्रार्थी ब्रिजसुन्दर व्यास की पुत्र-पुत्रियां हैं, के द्वारा प्रार्थी ब्रिजसुन्दर व्यास के नाम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने में अपनी सहमति प्रकट किये जाने के आधार पर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रार्थी ब्रिजसुन्दर व्यास के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आ दे श</u>

14. अतः प्रार्थी द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के अधीन प्रस्तुत यह आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी, मृतका श्रीमती लाज व्यास के नाम बैंक ऑफ बडौदा शाखा दूनी जिला टोंक (राजस्थान) के खाता संख्या 06600100002285 में जमा धनराशि 98,506/-रूपये, जो लेन-देन न होने के कारण वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के हैड ऑफिस बैंक ऑफ बडौदा, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स मुम्बई सी-26, जी-ब्लॉक बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स (अप्रार्थी संख्या-4) को भिजवाई जा चुकी है, को मय ब्याज प्राप्त कर सकेगा। उसके द्वारा एक माह की अवधि में नियमानुसार न्याय-शुल्क अदा करने पर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाये।

15. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 375 के प्रावधानान्तर्गत प्रार्थी ब्रिजसुन्दर व्यास एक परिवचन-पत्र एवं इस

Authenticated Document

न्यायालय की संतुष्टि की 1,00,000/-रूपये की एक प्रतिभूति इस आशय की प्रस्तुत कर प्रमाणित करवायेगा कि यदि भविष्य में मृतका स्व. डॉ. लाज व्यास का उनके अतिरिक्त अन्य कोई उत्तराधिकारी होना प्रकट होता है तो इस उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के अधीन प्रदत्त राशि की सीमा तक उसके अधिकार की संतुष्टि उसके द्वारा की जायेगी। इस आशय का परिवचन-पत्र एवं प्रतिभूति प्रस्तुत होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार प्रार्थी को उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जा सकेगा।

16. उसके द्वारा एक माह की अवधि में नियमानुसार न्याय-शुल्क अदा करने पर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाये।

(संदीप कुमार शर्मा)
जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

17. आदेश आज दिनांक 27 मई, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

Authenticated Document

Signature Not Verified

Digitally signed by
Date: 2026.05.27 18:10:00 IST